www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञाप्ति

दिनांक: 08.03.2017

सीबीआई ने चार लाख रू. की कथित घूसखोरी में केन्द्रीय उत्पाद कर के अधीक्षक एवं प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने चार लाख रू. की कथित घूसखोरी में अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपवंचन विरोधी (एन्टी इवेशन), हैदराबाद-।। कमिशनेरेट, केन्द्रीय शुल्क भवन, बशीरबाघ, हैदराबाद एवं प्राइवेट व्यक्ति (प्राइवेट फर्म के प्रतिनिधि) को गिरफ्तार किया।

सीबीआई ने अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपवंचन विरोधी (एन्टी इवेशन), हैदराबाद-।। कमिशनेरेट, केन्द्रीय शुल्क भवन, बशीरबाघ, हैदराबाद एवं अन्य अज्ञात के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 12 एवं 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(सी) व (डी) के तहत कटेडन, हैदराबाद स्थित प्राइवेट फर्म में किए गए निरीक्षण के पश्चात अनुचित आधिकारिक पक्षपात दर्शाने एवं अपवंचन विरोधी टीम के द्वारा कारखाना भ्रमण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को छुपाने के लिए 10 लाख रू. की अवैध घूस की माँग पर एक मामला दर्ज किया। ऐसा आगे आरोप था कि अनुचित पक्षपात दर्शाने हेतु उक्त फर्म के प्रतिनिधि से माँगी गई 10 लाख रू. की कुल राशि में से, 6 लाख रू. की पहली किस्त आरोपी को दिनांक 07.03.2017 को सुबह दी गई एवं 4 लाख रू. की दुसरी किस्त दोपहर बाद दी जानी थी। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को दुसरी किस्त के तौर पर चार लाख रू. की कथित घूस की माँग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। उक्त फर्म के प्रतिनिधि (घूस देने वाला) को भी गिरफ्तार किया गया।

आरोपी के कार्यालयी एवं आवासीय परिसरों से तलाशी की गई जिसमें कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ 5.6 लाख रू. (लगभग) भी बरामद हुआ।

दोनों गिरफ्तार आरोपियों को सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश, हैदराबाद के समक्ष आज पेश किया जा रहा है।

****